

प्रेषक,

निदेशक,  
विकलांग कल्याण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 23750/वि0क0/यो0/आवंटन/2013-14 : लखनऊ दिनांक : 04 फरवरी, 2014.

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए उनके भरण-पोषण हेतु आयोजनागत-सामान्य पक्ष में नवीन एवं द्वितीय छः माह हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या 24/65-2-2014-12(बजट)/2013 दिनांक 13 जनवरी, 2014 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2013-14 में नेत्रहीन, मूक-बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को भरण पोषण हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आयोजनागत-सामान्य पक्ष में आबंटन आदेश सं0- 024-0301-पी-. दिनांक- 28.01.2014 (संलग्नक-1) में दिये गये जनपदवार आवंटन के अनुसार कुल रु0 3,22,41,600/- (रुपये तीन करोड़ बाईस लाख इक्तालिस हजार छः सौ मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखी जाती है तथा संलग्नक-2 के अनुसार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें 4376 पुराने लाभार्थियों की द्वितीय छमाही की किश्त हेतु रु0 78,76,800/- (रु0 अठहत्तर लाख छियासी हजार आठ मात्र) तथा 13536 नवीन लाभार्थियों हेतु रु0 2,43,64,800/- (रु0 दो करोड़ तैतालिस लाख चौसठ हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि निर्धारित की गयी है :-

1- उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियमों, आदेशों, तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर बैंक/ड्राकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

3- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस-16/1994, दिनांक 6 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या-बी-2337/दस-97, दिनांक 21.11.1997 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4- मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशक, विकलांग कल्याण को उपलब्ध कराया जायेगा। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके सम्बन्ध में कलैण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्धशासकीय पत्र संख्या-3318/दस-22-98, दिनांक 28.07.1998 में किया गया है।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसका उत्तर दायित्व जिला विकलांग कल्याण अधिकारी का होगा।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय उपरोक्त आबंटन आदेश सं0- 024-0301-पी-. दिनांक- 28.01.2014 में उल्लिखित मानक मर्दों के नामे डाला जायेगा।

7- उक्त आवंटन निदेशालय की सम्यक अनुदान पत्रिका के पृष्ठ सं0- 75 पर अंकित हैं।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय,

(विद्यासागर प्रसाद)  
निदेशक।

**पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।**

**प्रतिलिपि** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/आडिट-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, विकलांग कल्याण विभाग।
- 3 सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4 सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5 समस्त उप निदेशक, विकलांग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6 वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-1
- 7 नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1
- 8 गार्ड फाईल।

(डा0 ए0के0 वर्मा)  
उपनिदेशक,  
कृते निदेशक।

